

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक 12 दिसम्बर, 2007

विषय:-वर्ष 2007-08 में सम्भावित शीत लहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्य हेतु धनराशि के आवंटन के आदेश में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में इस समय ठंड बहुत बढ़ गई है । अतः सम्भावित शीत लहर के प्रकोप से गृह विहीन/शिराश्रित/अप्राप्त व्यक्तियों के बचाव हेतु सार्वजनिक उपयुक्त स्थानों पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में अलाव जलाने की आवश्यकता है । अलाव की व्यवस्था हेतु श्री राज्यपाल प्रत्येक जिले में रुपये-50,000.00 की दर से धनराशि जिलाधिकारी निर्वहन पर निम्न शर्तों के अधीन रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1. अलाव की व्यवस्था :

- (क) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय । इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय ।
- (ख) अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि का उपयोग प्रमाण एवं अज्ञात से जलाने के स्थल, इन की संख्या, लकड़ी के कण की रसीद कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय ।
2. उक्त धनराशि आपदा राहत निधि से उपलब्ध धनराशि से व्यय किया जाय । यदि आपदा राहत निधि में धनराशि उपलब्ध नहीं हो तो TR-27 से आवरित धन धनराशि व्यय की जाय तथा प्रतिपूर्ति हेतु शासन को समेकित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये ।
3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत हेड्रा शीर्षक-2245 के प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत आयोजन-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा ।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृति धनराशि सम्भावित शीत लहर के प्रकोप से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के दायित्वों को पूर्ति के लिए है । इस धनराशि का उपयोग विगत वर्षों के दायित्वों तथा अन्य मदों पर व्यय की अनुमति नहीं है ।
5. कृपया आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए इसका लेखा-जोखा वित्त-निर्णयों के अनुसार रखा जाए तथा व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में रखा मदों में पुरांकित कराया जाय, साथ ही आंकड़े उमाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय ।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)

सचिव एवं राहत आयुक्त ।